राजस्थान सरकार
कार्यालय, आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान
स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम जयपुर

क्रमांक–एफएसएसए/एफ–92/2015/ दिनांकः–

–::आदेश::–

निदेशालय के पत्र क्रमांक 360 दिनांक 04.05.2015 एवं 389 दिनांक 11.05.2015 के द्वारा मौसम परिवर्तन एवं ग्रीष्म ऋतु में पेय पदार्थ/खाद्य पदार्थों मे मिलावट पर अंकुश लगाने हेतु दिनांक 11.05.2015 से 25.05.2015 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिनकी निरन्तरता में माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार अभियान के दौरान प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रति दिन 5 निरीक्षण किये जाने एवं 5 सेम्पल लिया जाना अनिवार्य है, जिनमें से 25 प्रतिशत पैक्ड आईटम एवं 25 प्रतिशत खुले आईटम के सेम्पल लेना अनिवार्य होगा शेष अन्य सभी खाद्य पदार्थों के सेम्पल लेवें।

उक्त अभियान की मोनिटिरिंग अभिहित अधिकारी अपने स्तर पर करेगें तथा अभियान हेतु गठित टीम में एक राजपत्रित अधिकारी अवश्य लगावें।

(डॉ0 बी.आर. मीणा)
आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक– एफएसएसए/एफ–92/2015/ 390 **दिनांकः–** 12/5/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
6. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा. स्वा.), मुख्यालय।
7. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) मुख्यालय।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राजस्थान।
9. समस्त अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान को भेजकर लेख है कि अभियान से सम्बंधित आदेश/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।
10. समस्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि अभियान से सम्बंधित आदेश/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।
11. मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर।(**chief.public.analyst@gmail.com**)
12. जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर, अलवर, कोटा, उदयपुर एवं जोधपुर।
13. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि अभियान से सम्बंधित आदेश/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।
14. प्रभारी, केन्द्रीय दल, मुख्यालय।
15. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी को ईमेल करते हुऐ, विभाग की साईड पर भी अपलोड करें।

(डॉ0 बी.आर. मीणा)
आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।